

India Trade Promotion Organisation

Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi – 110 001

Tel.: 91-11-23371540 (EPABX), Fax: 91-11-23371492, 91-11-23371493

PUBLIC SAFETY MEASURES AND DESIGN GUIDELINES

For stalls in ITPO Fairs in Pragati Maidan, New Delhi

March 2021

I. PREVENION OF SPREAD OF COVID-19

1. Comply with all social distancing and sanitization norms at all times during the event.
2. Ensure compliance of latest guidelines of MHA/DoC/MoHFW/GNCTD.

II. SHELL SCHEME:

1. No Part/feature/branding/projection/furniture should go beyond 3.0m.
2. **NO APPROVAL NEEDS TO BE TAKEN** for Shell Scheme stalls of less than 36 sq.m. area, but necessary ITPO Guidelines are to be followed.

III. BARE SCHEME:

1. Dimensions allotted should strictly be followed.
2. Max. Height restrictions:
 - a. Rear/back wall or wall adjoining stall should not be more than 3.0m.
 - b. General height of stall including display aids/lights etc. should not exceed 3.0m.
 - c. Feature/logo/branding can go uptill the height of 4.5m (feature/branding should not be on entire side wall and should be central feature only).
3. Walls adjoining stall shall be finished properly (from outer side) and no branding allowed on that side. No structural support shall be taken from neighbouring stalls.
4. Side facing passage should be transparent or translucent.
5. Fire retardant paint to be used on wooden/fabric members.
6. Electric cables to be covered properly with fire retardant material.
7. If stall has any fire/electric related installation within or nearby, then clear direct access of atleast 1m wide needs to be provided for it.
8. Peripheral passage should NOT be occupied by the participant for any purpose.

IV. OTHER RELEVANT GUIDELINES OF ITPO NEED TO BE FOLLOWED.

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
टेली: 91-11-23371540 (EPABX), फैक्स: 91-11-23371493
ई-मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट: <http://indiatradefair.com>

सार्वजनिक सुरक्षा उपाय और डिजाइन दिशानिर्देश प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईटीपीओ मेलों में स्टॉलों हेतु मार्च 2021

I. कोविड-19 के प्रसार के लिए रोकथाम

1. आयोजन के दौरान हर समय सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के सभी नियमों का पालन करें।
2. एमएचए/डीओसी/एमओएचएफडब्ल्यू/जीएनसीटीडी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

II. शैल (shell) योजना:

1. कोई भी पार्ट/फीचर/ब्रांडिंग/प्रोजेक्शन/फर्नीचर 3.0 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. 36 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के शैल योजना स्टॉलों के लिए **किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है**, किंतु आवश्यक आईटीपीओ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

III. बेयर (bare) योजना:

1. आवंटित लंबाई/चौड़ाई का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
2. अधिकतम ऊंचाई प्रतिबंध:
 - क) पिछली/पीछे की दीवार या स्टॉल से संलग्न दीवार 3.0 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - ख) डिस्प्ले एड्स/लाइट आदि सहित स्टॉल की सामान्य ऊंचाई 3.0 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - ग) फीचर/लोगो/ब्रांडिंग 4.5 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है (फीचर/ब्रांडिंग पास की पूरी दीवार पर नहीं अपितु केवल केंद्रीय फीचर होना चाहिए)।
3. स्टॉल से सटी दीवारों को (बाहरी तरफ से) ठीक से तैयार किया जाना चाहिए तथा उस तरफ किसी भी ब्रांडिंग की अनुमति नहीं है। पड़ोसी स्टॉलों से कोई संरचनात्मक सहायता नहीं ली जाएगी।
4. साइड फेसिंग मार्ग पारदर्शी या पारभासी (translucent) होना चाहिए।
5. लकड़ी/कपड़े पर अग्निरোধी पेंट का प्रयोग किया जाना है।
6. बिजली के तारों को अग्निरোধी सामग्री से ठीक से ढका जाना चाहिए।
7. यदि स्टॉल के भीतर या आस-पास कोई आग/विद्युत से संबंधित स्थापना है, तो स्पष्ट सीधी पहुँच हेतु कम से कम 1 मीटर चौड़ा मार्ग खुला रहना चाहिए।
8. किसी भी प्रयोजन हेतु पेरिफेरल पैसेज पर प्रतिभागी का कब्जा नहीं होना चाहिए।

IV. आईटीपीओ के अन्य अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।